न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी— अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
94 / प्रा0पत्र / 14	09.10.2014	31.08.2021

सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली। —प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल आ0 फतेहलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झोपड़ियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक)।

1/1. लादू आ0 रामस्वरूप
1/2. शोजी आ0 रामस्वरूप
1/3. चन्द्रेश बाई पुत्री रामस्वरूप
1/4. घनश्याम आ0 फून्दीलाल
1/5. नंदलाल आ0 फून्दीलाल
1/6. जगदीश आ0 फून्दीलाल जाति ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झोपड़ियां तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

उपस्थित— प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार
अप्रार्थी की ओर से श्री शम्भू दयाल शर्मा एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 तहसीलदार हिण्डोली ने इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी मांगीलाल को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 91 रकबा 4 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों की झोपड़ियां आवंटन आदेश दिनांक 27.01.1983 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मांगीलाल की मृत्यु हो जाने के तथ्य प्रकट होने से उसके कायम मुकामान की रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली से तलब की जाकर अप्रार्थी मांगीलाल (मृतक) के कायम मुकामान को तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अप्रार्थी मांगीलाल (मृतक) एवं अप्रार्थी के कायम मुकामान द्वारा आंवटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियमों का उल्लंघन किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटी व उसके कायम मुकामान का कब्जाकाश्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति ओमप्रकाश आ0 फून्दीलाल कौम ब्राह्मण निवासी ब्राह्मणों की झोपड़ियां का कब्जाकाश्त हैं। अतः अप्रार्थी मांगीलाल (मृतक) को आवंटित भूमि खसरा संख्या 91 रकबा 4 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों की झोपड़ियां तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 27.01.1983 को निरस्त कर भूमि को राजकीय सिवायचक किया जावें।

अप्रार्थीगण के वकील दोराने बहस व्यक्त किया कि आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन की पात्रता रखने पर नियमानुसार भूमि का आवंटन

अति0 जिला कलक्टर

है। आवंटन के बाद आवंटित भूमि पर आवंटी श्री मांगीलाल जी काश्त करते रहे थे। मांगीलाल जी अविवाहित थे। मांगीलाल जी अपनी जीवित अवस्था में उनके भाई फून्दीलाल व गोरधन के पास ही निवास करते थे। मांगीलाल जी की मृत्यु के पश्चात उनके भाई संयुक्त रूप से आवंटित पर निर्बाधरूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं। आवंटी स्वर्गीय श्री मांगीलाल एवं उनके बाद उनके कायम मुकामान ने आवंटन शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में अन्य व्यक्ति ओमप्रकाश आ0 फून्दीलाल का कब्जा होना अंकित किया हैं। ओमप्रकाश फून्दीलाल का पुत्र हैं और फून्दीलाल स्वर्गीय मांगीलाल का भाई हैं। आवंटन के बाद आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 31 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं जो अवधि बाधित हैं। अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 27.01.1983 बहाल रखा जावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन कर पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। आवंटन पत्रावली अनुसार अप्रार्थी/आवंटी मांगीलाल (मृतक) को खसरा संख्या 91 रकबा 4 बीघा 1 बीस्वा वाके ग्राम ब्राह्मणों की झोपड़ियां तहसील हिण्डोली आवंटन आदेश दिनांक 27.01.1983 से भूमि का आवंटन किया गया है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने एवं अन्य व्यक्तियों का आवंटित भूमि पर कब्जा होने के तथ्य अंकित किये गये हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण में प्रेषित कायम मुकाम की रिपोर्ट से जाहिर आया कि उसमें कायम मुकाम के रूप में ओमप्रकाश आ0 फून्दीलाल का नाम अंकित हैं जो अन्य व्यक्ति नहीं होकर मृतक आवंटी मांगीलाल का कायम मुकाम हैं अर्थात मांगीलाल के भाई फून्दीलाल का पुत्र हैं। इस प्रकार आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जाकाश्त होना प्रमाणित नहीं होता हैं। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में यह उल्लेखित है कि यदि आवंटन कपट या दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्ध किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा तथ्य छुपाकर भूमि का आवंटन करवाया गया हो तथा उसके द्वारा आवंटन की कौनसी शर्तों का उल्लंघन किया गया हैं यह प्रमाणित नहीं पाया गया हैं। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 27.01.1983 को निरस्त करने हेतु प्रकरण लगभग 31 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया हैं। प्रकरण में आवंटी मांगीलाल अविवाहित फौत होने के तथ्य कायम मुकामान की रिपोर्ट से जाहिर आये हैं। अतः तहसीलदार हिण्डोली को यह निर्देश देना हम उचित समझते हैं कि आवंटी मांगीलाल (मृतक) के वैध उत्तराधिकारियों के संबंध में संपूर्ण जांच करें। यदि प्रकरण बाद जांच अन्य नियम या अधिनियम में बनना पाया जाता हैं तो वह सक्षम न्यायालय में इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगें।

अतः उक्त विवेचानुसार तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 27.01.1983 यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के वापस भिजवाई जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर, बूंदी

बूंदी (राज0)